AAP-A
Crim-I

FORM NO III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ........................ मुकाम ........................

........................ बनाम ........................

किस्म मुकदमा ........................ नं. ........................ सन् ........

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इन्दिराजात जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/6/23 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28/7/23 को पेश हो। | |
| 28/7/23 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो। | |
| 29/9/23 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14/12/23 को पेश हो। | |
| 14/12/23 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15/2/24 को पेश हो। | |
| 15-2-24 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 22-3-24 को पेश हो। | |
| 22/3/24 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14/5/24 को पेश हो। 14/5/24 रेस्पोन्डेन्ट 1 से 6 की ओर से वकालतनामा पेश किया | |
| -5-24 | पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 19-7-24 को पेश हो। | |
| 19/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकालतनामा उ०प०। रेस्पोंडेन्टस ने अपना जवाब पूर्व में पेश कर दिया जिसे आज रिकार्ड पर लिया जाता है बहस वकालतनामा की प्रार्थना पत्र पर सुनी गई प्रार्थना पत्र | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | को निर्णीत करने से पूर्व मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाना आवश्यक है चूंकि प्रतिवादीगणों ने इकबालिया जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है अतः मियाद के बिन्दु पर अपीलार्थी को कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाता है।<br><br>प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम गुजरावास तहसील जोधपुर जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 169/1 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय मोतीराम पिसरान सुखाराम, जाति जाट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मोतीराम ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को भूखण्ड बेचान कर दिये थे तथा मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा अपीलांट का ही है लेकिन अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण नहीं भरा गया। मोतीराम का दिनांक —/—/2011 को स्वर्गवास हो गया और हल्का पटवारी द्वारा मोतीराम का फोतदगी नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया अंत में अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पोन्डेन्ट्स अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।<br><br>हमने प्रार्थना पत्र, एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के बहस पर मनन किया। जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | इसे स्वीकार किया जाकर म्युटेशन नम्बर 1388 आंशिक रूप से रद्द किया जाकर ख.नं. 169/1 में अपीलार्थी को मोतीराम द्वारा अपने जीवन काल में बेचे गये भूमि का नामान्तरकरण करने का आदेश दिया जाता है<br>तहसीलदार जोधपुर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण करने की कार्यवाही करे। तदनुसार तहसीलदार के नाम तहरीर जारी हो.<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया [signature] | |